

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-3, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नम्बर-0771.2331385, Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक/सतर्कता/ए/दुर्ग/139/2024/956
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2024

श्री अभय जायसवाल,
जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ।
विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र ।

---00---

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग का पत्र क्रमांक/स्था.4/पदो./दुर्ग/2023-24/2808,, दिनांक 25.07.2024 में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा लिपिकों की डीपीसी कर वर्ष 2023 एवं 2024 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है । उक्त पदोन्नति के सम्बंध में लिपिक संघ द्वारा शिकायत की गई है कि वरिष्ठ लिपिकों को मौका नहीं देकर जूनियर का प्रमोशन किया गया है । तीन सदस्यी जाँच दल गठित कर उक्त शिकायत की जाँच करायी गयी । जाँच प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अनुसार उक्त शिकायत प्रमाणित पाया गया है, जिसके आधार पर अप्रैल 2023 में जारी पदोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. कराने की अनुशंसा की गई है ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग में लिपिकों की डीपीसी कराकर अप्रैल 2023 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया । तत्समय आप जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के पद पर पदस्थ थे । आपके द्वारा प्रशासनिक पद पर पदस्थ रहते हुए नियम विरुद्ध डी.पी.सी. कराकर पदोन्नति में अनियमितता की गई है एवं लापरवाही बरती गई है । आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है ।

अतः उक्त सम्बंध में, क्यों न आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाय । इस सम्बंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद, इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग में प्रस्तुत करें । आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपका लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह समझा जावेगा कि उक्त शिकायत के सम्बंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

संलग्न: (1) संयुक्त संचालक का पत्र क्रमांक 2808, दिनांक 25.07.2024 ।

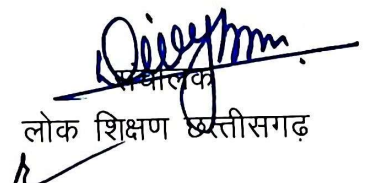
(2) जाँच प्रतिवेदन दिनांक 23.07.2024 ।

पृष्ठांक./सतर्कता/ए/दुर्ग/139/2024/957
प्रतिलिपि:-

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित को कारण बताओ सूचना पत्र तामील करावें । सम्बंधित से निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवाद प्राप्त करें और प्रतिवाद का परीक्षण कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2024


लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-3, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन नम्बर-0771.2331385, Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक/सतर्कता/ए/दुर्ग/139/2024/958
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2024

श्री चन्द्रप्रकाश साहू,

सहायक वर्ग-3

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग ।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र ।

—00—

संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग का पत्र क्रमांक/स्था.4/पदो./दुर्ग/2023-24/2808,, दिनांक 25.07.2024 में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा लिपिकों की डीपीसी कर वर्ष 2023 एवं 2024 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है । उक्त पदोन्नति के सम्बंध में लिपिक संघ द्वारा शिकायत की गई है कि वरिष्ठ लिपिकों को मौका नहीं देकर जूनियर का प्रमोशन किया गया है । तीन सदस्यी जाँच दल गठित कर उक्त शिकायत की जाँच करायी गयी । जाँच प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अनुसार उक्त शिकायत प्रमाणित पाया गया है, जिसके आधार पर अप्रैल 2023 में जारी पदोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. कराने की अनुशंसा की गई है ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग में लिपिकों की डीपीसी उपरान्त अप्रैल 2023 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया । तत्समय आप स्थापना के प्रभारी रहे हैं । आपके द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए नियम विरुद्ध डी.पी.सी. करारकर पदोन्नति में अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है । आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम- 03 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है ।

अतः उक्त सम्बंध में, क्यों न आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाय । इस सम्बंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद, इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, दुर्ग में प्रस्तुत करें । आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपका लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह समझा जावेगा कि उक्त शिकायत के सम्बंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है और आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

संलग्नः(1) संयुक्त संचालक का पत्र क्रमांक 2808, दिनांक 25.07.2024 ।

(2) जाँच प्रतिवेदन दिनांक 23.07.2024 ।

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2024

पृष्ठांक./सतर्कता/ए/दुर्ग/139/2024/959

प्रतिलिपि:-

- 1/ संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित को कारण बताओ सूचना पत्र तामील करावें । सम्बंधित से निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवाद प्राप्त करें और प्रतिवाद का परीक्षण कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दुर्ग ।

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड-3, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर
फोन नम्बर-0771.2331385, Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक/सतर्कता/ए/दुर्ग/139/2024/960
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2024

संभागीय संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग, दुर्ग।

विषय:- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग में वर्ष 2023 एवं 2024 में लिपिकों की पदोन्नति के सम्बंध में लिपिक संघ द्वारा की गई शिकायत के सम्बंध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक/स्था.4/पदो./दुर्ग/2023-24/2808, दिनांक 25.07.2024।

—00—

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा लिपिकों की डीपीसी कर वर्ष 2023 एवं 2024 में पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। उक्त पदोन्नति के सम्बंध में लिपिक संघ द्वारा शिकायत की गई है कि वरिष्ठ लिपिकों को मौका नहीं देकर जूनियर का प्रमोशन किया गया है। तीन सदस्यी जॉच दल गठित कर उक्त शिकायत की जॉच करायी गयी। जॉच प्रतिवेदन एवं दस्तावेज के अनुसार उक्त शिकायत प्रमाणित पाया गया है, जिसके आधार पर अप्रैल 2023 में जारी पदोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. कराने की अनुशंसा की गई है।

अतः जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार रिव्यू डी.पी.सी. की कार्यवाही करावें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


संचालक 24/9/24.
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़